FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Hisar **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0016 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 15/05/2025 19:41 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	61
2	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	308(2)
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Thursday **Date from (दिनांक से):** 15/05/2025 **Date To (दिनांक तक):** 15/05/2025

Time Period (समय अवधि): Pahar 5 **Time From (समय से):** 14:05 hrs **Time To (समय तक):** 14:05 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/05/2025 **Time (समय):** 19:00 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 024 **Date and Time (दिनांक और समय):** 15/05/2025 19:09 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 100 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): खैरडी मोड रोहतक भिवानी रोड,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** विकास

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** सुलेभान

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1998 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	खेडी होशदारपुर, JHAJJAR, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	खेडी होशदारपुर, JHAJJAR, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9728289743

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	तरुण भारद्वाज ड्रग निरीक्षक			1. चरखी दादरी,DADRI CITY,CHARKHI DADRI,HARYANA,INDIA
2	रोहित	साहिल		1. नामालुम,CHARKHI DADRI,HARYANA,INDIA
3	अभिमन्यु			1. नामालुम,CHARKHI DADRI,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे.

इन्सपैक्टर विजिलैंस

करनाल ।

श्रीमान

निवेदन है कि मै विकास पुत्र श्री सुलेभान वासी गांव खेडी होशदारपुर जिला झज्जर का रहने वाला हुं मैने गावं राणिला जिला चरखी दादरी मे फीड की दुकान की हुई है । दिनांक 30/04/25 को तरुण भारद्वाज मेरी दुकान पर आया और मेरे को धमकाने लगा कि मै ड्रग इन्सपैक्टर हुं तु दुकान पर मिलावटी फीड बेचता है । जिसकी मै सैपलिंग करवा दुंगा और तेरी दुकान सील कर दुंगा और दुकान पर ताला लगाकर चाबी साथ ले गया और कहने लगा कि मेरा आदमी तेरे से बात करेगा तु उसकी बात मान लेगा तो तेरी दुकान चल जायेगी नही तो परमानैन्ट सील हो जाएगी फिर उसके जाने के कुछ देर बाद ही मो. 7800693673 से वटसऐप कॉल आई जिसने कहा कि मै रोहित बोल रहा हुं मेरे को ड्रग इसपैक्टर तरुण भारद्वाज ने बात करने के बोला है । जिसने मेरे को कहा कि तु दुकान सील होने से व कानुनी कार्यवाही से बचना चाहता है तो तरुण भारद्वाज के नाम के एक लाख रुपय रिशवत दे दे नही तो तेरी दुकान सील हो जाएगी और तेरे खिलाफ कानुनी कार्यवाही होगी उसने मेरे उपर रिश्वत देने के लिए नाजायज दबाब बनाया जो मैने मजबुरी वश रोहित को तरुण भारद्वाज ड्रग इंस्पैक्टर के लिए 70,000/-रू0 रिश्वत दे दी फिर रोहित ने बकाया 30,000/-रू0 मांगे मैने रोहित को कहा कि मेरे को एक बार ड्रग इंस्पैक्टर तरूण भारद्वाज से मिलवा दे तो रोहित ने मेरे को कहा कि उसने तरूण भारद्वाज फोन कर दिया है। तु मेरा नाम लेकर मिल लेना जिसके फोन करने के बाद में दिनांक 14.05.25 को चरखी दादरी जाकर तरूण भारद्वाज को उसके कार्यालय में मिला और रोहित का नाम लिया तो तरूण भारद्वाज ड्रग इंस्पैक्टर ने मेरे को कहा ठीक है। रोहित से मेरी बात हो गई है तु अब अपनी दुकान ठीक प्रकार से चला सकते हो अब तेरे को केाई दिक्कत नही होगी फिर कुछ देर बाद रोहित का बकाया 30,000/-रू0 रिश्वत देने बारें मेरे पास व्हाटसअप पर कॉल आई जिसने 30,000/-रू0 बकाया रिश्वत देने बारें कहा जिसको मैने मजबुरीवश हां कर दी। जिसने आज मुझे फोन करके कहा कि बकाया 30,000/-रू0 रिश्वत उसके जानकार अभिमन्यु को रेलवे रोड चरखी दादरी दुकान पर दे देना। तरूण भारद्वाज ड्रग इंस्पैक्टर, रोहित उर्फ साहिल व अभिमन्यु ये तीनो आपस में मिले हुए है। जो तीनो आपस में साजबाज होकर मिलीभगत करके रिश्वत लेते है। आज रोहित उर्फ साहिल के द्वारा ड्रग इंस्पैक्टर तरूण भारद्वाज के मांगने पर अभिमन्यु को रिश्वत 30,000/-रू0 देने हेतु बुलाया है। मैने रिश्वत मांगने पर इनकी रिकॉर्डिंग की हुई है। इनके खिलाफ कानुनी कार्यवाही होनी चाहिए ।

sd Vikash

विकास पुत्र श्री सुलेभान

गांव खेडी होशदारपुर (झज्जर)

9728289743

पुलिस कार्यवाहीः- आज मन निरीक्षक मय साथी कर्मचारी व सवारी गाडी सरकारी के बराए कार सरकार रोहतक रवाना था कि पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरों करनाल द्वारा सुचित किया कि विकास नाम के व्यक्ति से फोन पर सम्पर्क करके मिलो। जिस पर मन निरीक्षक ने विकास के मोबाईल पर सम्पर्क किया जिसने मन निरीक्षक को खैरडी मोड रोहतक, भिवानी रोड पर मिलने बारें कहा जहां पर विकास ने मुलाकी होकर हालात से अवगत करवाकर एक लिखित शिकायत और 30,000/- रू0 रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश की जिस पर मन निरीक्षक ने पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0ब्युरों रोहतक से रैंडिंग पार्टी के साथ राजपत्रित गवाह नियुक्त करने बारें आग्रह किया जिन्होने राजपत्रित गवाह नियुक्त करके व छाया गवाह राजपत्रित गवाह द्वारा अपने स्तर पर लाने बारें आदेश जारी किए जो व्हाटसप पर प्राप्त हुए। मन निरीक्षक ने राजपत्रित गवाह से बजरीया फोन सम्पर्क करके छाया गवाह सहित खैरडी मोड पर आने बारें आग्रह किया। मन निरीक्षक ने रिश्वत राशि में दिए जाने वाले 30,000/-रू. 500/500 रू0 वाले करंसी नोटो की सुची तैयार की जो दरखास्त उपरोक्त से आरोपी तरूण भारद्वाज ड्रग इंस्पैक्टर चरखीदादरी, रोहित/साहिल व अभिमन्यु के विरूद्व जेर धारा 7,7A PC Act. 1988 व धारा 61(2),308(2) BNS का घटित होना पाया जाने पर तहरीर अंकित की जाकर बदस्त HC संजय कुमार न. 345/KTL के अरसाल थाना है तहरीर पर अभियोग अंकित करके अभियोग संख्या से सूचित किया जावे व असल तहरीर व प्रथम सूचना रिपोर्ट मौका पर भिजवाई जावे तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियो की सेवा मे भिजवाई जाये । तफतीसी बैग, लैपटाप, प्रिन्टर हमरा है मन निरीक्षक दर इन्तजार राजपत्रित गवाह व छाया गवाह का होता हुं । आज मौक पर दुसरा तफतीसी भेजा जाये । अजः- खेरडी मोड रोहतक भिवानी रोड ।

SD Ranbir Singh
निरीक्षक
थाना भ्र.नि. व्यूरो ,
करनाल मण्डल करनाल
दिनांक 15/05/2025
At 2.05 PM

अज थाना- हस्ब आमद तहरीर पर मुकदमा नं. 16 दिनांक 15.05.2025 धारा 7,7A PC Act. 1988 व धारा 61(2),308(2) BNS थाना भ्र.नि.ब्यूरो हिसार दर्ज रजि. किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर HC संजय कुमार न. 345/KTL के हाथ वर मौका अनुसंधानकर्ता के पास भेजी जा रही है । प्र.सु.रि. की स्पैशल प्रतियां तैयार करके EMAIL ID द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब च.दादरी व पुलिस अधीक्षक चरखी दादरी की सेवा में भेजी जा रही हैं ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Mahesh Kumar **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): HPS **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): SATYAPAL

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 303SPT

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male					**Is pox pitted:** Yes
2	Male					**Is pox pitted:** Yes
3	Male					**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)